यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के माह 07/ 2019 से 02/ 2021 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री के० एस० चौहान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री विजय कुमार पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 15.03.2021 से 23.03.2021 तक श्री राकेश कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री विजय कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 27.07.2019 से 03.08.2019 तक श्री राकेश कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमे 08/ 2017 से 06/ 2019 तक के अभिलेखों की जांच की गयी थी।

1. वर्तमान लेखा परीक्षा मे माह 07/ 2019 से 02/ 2021 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।
2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः **देहरादून**

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्था.	गैर स्था.	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आधि.	बचत	आधि.	बचत
2017-18	-	-	18936.30	18936.30	1129.89	1117.12	-	-	-	12.77
2018-19	-	-	20720.38	20561.80	1476.22	1377.67	-	158.58	-	98.55
2019-20	-	-	390.34	21374.32	1348.54	1337.62	20983.98	-	-	10.92
2020-21(02/2021	-	-	-	17150.54	1618.20	1238.45	17150.54	-	-	379.75

(ब) Autonomous Bodies की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति: **शून्य**

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण: **शून्य**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
अपर पुलिस अधीक्षक
पुलिस उपाधीक्षक
निरीक्षक
उप-निरीक्षक
सहायक उप-निरीक्षक
कांस्टेबल

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। 08/ 2019, एवं 10/ 2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया तथा सभी मुख्य कार्यों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

(iii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

<u>शून्य</u>

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 01: ₹ 24.78 लाख का अनियमित व्यय।

परिवहन आयुक्त, उत्तराखंड द्वारा जुलाई 2018 में चार पहिये वाली ऐसी गाड़ी जो भाड़े पर संचालित होती है तथा जिसमे चालक को छोडकर 06 से अधिक सीटें न हों, उसके लिए साधारण सेवा हेतु ₹ 13.00 प्रति किलोमीटर तथा एसी हेतु ₹ 13.00 का पचास प्रतिशत अधिक दर निर्धारित की गयी थी। इसके अतिरिक्त प्रथम 08 घंटे हेतु ₹ 179.00 तथा उसके अतिरिक्त घंटों हेतु प्रति घंटा ₹ 10.00 प्रतीक्षा भाड़ा निर्धारित किया गया था। थाना विविध आवश्यक कार्यों हेतु वर्ष 2019-20 व 2020-21 में प्रति वर्ष ₹ 40.70 लाख की धनराशि जनपद देहरादून को प्रदान की गयी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा उक्त धनराशि थानों के वर्गीकरण के अनुसार थानो को वितरित की गयी थी। उक्त धनराशि को व्यय किए जाने हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश (नवम्बर 2017) के अनुसार उक्त धनराशि का व्यय अन्य मदों के अतिरिक्त गंभीर प्रकृति एवं संवेदनशील अपराधों में अभियुक्तों की तलाश में दविष देने हेतु विशेष प्रयासों में राज्य व राज्य के बाहर जाने हेतु किराए पर लिए गए वाहनों के भुगतान पर भी किया जाना था। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मासिक रूप से थाना आवश्यक कार्य निधि से किए गए व्यय की समीक्षा की जानी थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में थानों को वितरित की गयी धनराशि में से ₹ 21.20 लाख कि धनराशि किराए पर ली गयी टैक्सी के भुगतान हेतु किया गया तथा 2020-21 में फरबरी तक 21 में से आठ थानों द्वारा ₹ 3.58 लाख की धनराशि का व्यय किराए पर ली गयी टैक्सी के भुगतान हेतु किया गया । आगे, व्यय देयकों की नमूना जांच में पाया गया कि टैक्सी बिलों में टैक्सी का नंबर नहीं लिखा गया, बिलों पर जीएसटीआईएन नंबर अंकित नहीं किया गया था, तय की गयी दूरी का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इन सब कारणों से लेखापरीक्षा में उक्त व्यय की प्रामाणिकता की जांच नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने उत्तर दिया कि थाना प्रभारियों को परिवहन आयुक्त की दरों के अनुसार वाहन किराए पर लेने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

थाना विविध की धनराशि से ₹ 24.78 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 02: ₹ 7.30 लाख के लघु निर्माण कार्यों की अनियमित अधिप्राप्ति।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 40 (घ) के अनुसार किसी नए कार्य, मरम्मत अनुरक्षण आदि के प्रारम्भ करने के पूर्व कार्य लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य विशिष्ट अभिकरण से अनुमोदित विभिन्न मदों की विशिष्टीयां एवं मात्राओं उक्त प्राकलन उपलब्ध हो गया हो। नियम 42 (1) के अनुसार दरों की अनुसूची के आधार पर ही मात्रा विवरण (Bill of Quantity) तैयार किया जाय ताकि उसी आधार पर निविदादाताओं से निविदा प्राप्त की जाएँ। नियम 48(क) के अनुसार ₹ 10.00 लाख तक के कार्य प्रतिशत दर पर आधारित निविदा के अंतर्गत ठेकेदारों को कुल अनुमानित लागत के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में उच्च अथवा नीचे समग्र प्रतिशत दर इंगित/उद्धृत करनी होगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 में थाना डोईवाला में आवासीय भवन में सीवर पिट एवं स्नानागार की मरम्मत एवं शौचालयों का निर्माण कार्य आदि ₹ 3.78 लाख की लागत से कराया गया तथा चौकी सर्किट हाउस के कर्मचारी आवास में शौचालय/स्नानागार का पुनर्निर्माण आदि का कार्य ₹ 3.52 लाख की लागत से कराया गया। इस प्रकार कुल ₹ 7.30 लाख के लघु निर्माण कार्य संपादित कराये गए। अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियमों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व कार्य लोक निर्माण विभाग अथवा अन्य विशिष्ट अभिकरण से विभिन्न मदों की विशिष्टियां एवं मात्राओं का उक्त प्राकलन तैयार व अनुमोदित नहीं कराया गया । निविदाएँ आमंत्रित करने से पूर्व दरों की अनुसूची के आधार मात्रा विवरण (Bill of Quantity) तैयार नहीं किया गया इसी कारण से ठेकेदारों द्वारा अनुमानित लागत के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में उच्च अथवा नीचे समग्र प्रतिशत दर इंगित/उद्धृत नहीं की गईं।

इस प्रकार, बिना आगणन गठित किए निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। काल्पनिक तौर पर कार्य की लागत बता कर निविदा स्वीकार की गईं एवं उनमे से न्यूनतम लागत वाले ठेकेदार को कार्य आबंटित किया गया। निष्पादित कार्यों के सापेक्ष माप पुस्तिका का रखरख़ाब नहीं किया गया, जिसकी अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या उक्त ठेकेदार द्वारा अपेक्षित कार्य की मात्रा के अनुसार कार्य का निष्पादन किया गया था अथवा नहीं। इस प्रकार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा ₹ 7.30 लाख के अनियमित लघु निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने उत्तर दिया कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 03:- 16 आवासों मे विद्युत कनैकशन न लगाए जाने के कारण विद्युत शुल्क की वसूली न किया जाना ₹ 17.22 लाख।

पुलिस आवासीय कालोनी हरवंशवाला थाना बंसन्त विहार मे 50 आवास थे जिनमे से 02 आवास रिक्त थे। पुलिस विभाग द्वारा 15 वर्ष पूर्व टाईप V एवं टाईप IV के आवासीय भवनो हेतु ₹ 1020 प्रतिमाह एवं टाईप III तथा टाईप II के आवासीय भवनो हेतु ₹ 520 प्रतिमाह विद्युत शुल्क निर्धारित किया गया था।

उपर्युक्त से संबन्धित अभिलेखों की संवीक्षा मे पाया गया कि उक्त 15 वर्षों से अब तक उन कार्मिकों द्वारा विद्युत संयोजन नहीं लगाए गए थे। 48 आवासों के सापेक्ष 32 आवासों मे रह रहे कार्मिकों के वेतन से वसूली की जारही थी जबकि 16 आवासों मे रह रहे कार्मिकों से विद्युत शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी। परिणामस्वरूप विद्युत विभाग का ₹ 17.22 लाख की धनराशि विद्युत शुल्क के रुप में भुगतान हेतु लम्बित थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वीकार किया कि उक्त कार्मिकों द्वारा विद्युत संयोजन नहीं लगाए गए है एवं विद्युत विभाग का ₹ 17.22 लाख भुगतान हेतु लम्बित है। साथ ही संबन्धित कार्मिकों को विद्युत संयोजन लगाए जाने हेतु पत्राचार करने के संबंध मे निर्देशित किया गया हैं।

अत: प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

<table>
<tr><th>लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या</th><th>भाग दो"अ"प्रस्तर संख्या</th><th>भाग -दो"ब" प्रस्तर संख्या</th><th>अनुपालन आख्या</th></tr>
<tr><td>27/ 2015-16</td><td>शून्य</td><td>1,2</td><td rowspan="3">इकाई द्वारा उत्तर मे बताया गया कि कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले०प०) की आडिट कमेटी को पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी है।</td></tr>
<tr><td>31/ 2017-18</td><td>शून्य</td><td>1,2,3,4,5</td></tr>
<tr><td>22/ 2019-20</td><td>शून्य</td><td>1,2,3</td></tr>
</table>

<u>भाग-IV</u>

(शून्य)

भाग - V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः **शून्य**
3. सतत् अनियमितताएँ नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में शामिल की गई हैं।

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री अरुण मोहन जोशी	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	03-08 2019 से 18.12.2020
2.	श्री योगेन्द्र सिंह रावत	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	19.12,2020 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताये जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उप महालेखाकार/ए०एम०जी० III, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-III